सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः–08.07.2024

वाद संख्याः– 2024/69

1. कालूसिंह उर्फ नरेन्द्रसिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. कमल कंवर उर्फ कमली पत्नी कल्याण सिंह निवासी लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़
प्रतिवादीगणः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

<u>निर्णय</u>

1. वादीगण की ओर से दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 88 का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1/4.1860 हैक्ट., खसरा संख्या 109/10.7621 हैक्ट., खसरा संख्या 118/0.2150 हैक्ट., खसरा संख्या 12/0.0506 हैक्ट., खसरा संख्या 13/1.3026 हैक्ट. व खसरा संख्या 6/2.4535 हैक्ट. कुल किता 06 कुल तादादी 18.9697 हैक्ट. वाके रोही लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 179 है, जिसमें वादीगण का 1/168 हिस्सा है। जिसके खातेदार वादीगण पिता व पति कल्याणसिंह थे, जिनके फौत होने पर उनका विरासतन इंतकाल नामान्तरणकरण दर्ज हुआ है।
2. उक्त विरासतन इंतकाल में वादी का नाम कालूसिंह की जगह नरेन्द्र सिंह व वादीया कमल कंवर की जगह कमली त्रुटीवश हो गया है, वादी का सही व वास्तविक नाम कालूसिंह व कमल कंवर है, लेकिन परिवार में स्नेह व प्यार की वजह से वादी को नरेन्द्र सिंह व कमली पुकारा जाता था। इस कारण त्रुटीवश नाम नरेन्द्र सिंह व कमली अंकित हो गया। मुलाहिजा हेतु जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 पेश है। वादी संख्या 01 का नाम जमाबंदी में में क्रम संख्या 14 व वादीया संख्या 02 का नाम क्रम संख्या [illegible] अंकित है।
3. राजस्व रिकॉर्ड में वादी नरेन्द्रसिंह का वास्तविक नाम कालूसिंह, कमली का वास्तविक नाम कमल कंवर है और [illegible] जिनका नाम अशुद्ध हो गया है, जिसे संशोधित करवाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:55 IST
Reason: SelfAttested

4. राजस्व रिकॉर्ड में नाम में त्रुटी होने से वादीगण को काफी हैरानी परेशानी हो रही है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, पहचान—पत्र आदि में उसका सही नाम कालूसिंह व कमल कंवर है। नाम में त्रुटी होने की वजह से वादी को सरकारी व गैरसरकारी योजनाऐं लेने में काफी परेशानी हो रही है ना ही क्लेम आदि मिल पा रहा है व वादीगण ने नाम संशोधन हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तो हल्का पटवारी ने तहसीलदार से नाम शुद्ध करवाने बाबत कहा, तो वादीगण ने तहसीलदार चूरू से निवेदन किया पर तहसीलदार ने उक्त दावा नाम संशोधन बाबत अदालतवाला में करने का कहने पर दिनांक 06.06.2024 को वादधार प्राप्त हुआ व वादगत रकबा अदालतवाला के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में है।

5. नाम संशोधन से किसी भी पक्षकार को कोई क्षति होने का कोई अंदेशा नहीं है एवं न्यायहित में इसे दुरूस्त किया जा सकता है, सहखातेदारान के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, जिस कारण उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी ने प्रतिवादी को बार—बार संशोधन करने बाबत मौखिक निवेदन किया तो उन्होने नाम में संशोधन नहीं करने व न्यायालय में दावा करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है। वादीगण उक्त कृषि का खातेदार काश्तकार होने से उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

6. वादगत कृषि भूमि रोही लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके संबंध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय को है।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा संख्या 1/4.1860 हैक्ट., खसरा संख्या 109/10.7621 हैक्ट., खसरा संख्या 118/0.2150 हैक्ट., खसरा संख्या 12/0.0506 हैक्ट., खसरा संख्या 13/1.3026 हैक्ट. व खसरा संख्या 6/2.4535 हैक्ट. कुल किता 06 कुल तादादी 18.9697 हैक्ट. वाके रोही लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू (राज.) में खातेदार नरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह की जगह कालू सिंह पुत्र कल्याण सिंह व कमली पत्नी कल्याण सिंह के स्थान पर कमल कंवर पत्नी कल्याण सिंह संशोधित किये जाने का आदेश व डिक्री बहक वादी जारी फरमायी जावें व प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि डिक्री अनुसार अमल दरामद भी वादीगण को प्रदान फरमाया जावें।

7. वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित हुए। पैरोकार राज को हिदायत दी गई कि नाम दुरूस्ती बाबत सम्बन्धित भू—अभिलेख निरीक्षक/पटवारी से रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत करें जिस पर पैरोकार राज द्वारा पटवारी मण्डल लोहसना बड़ा से रिपोर्ट लेकर पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। जिसमें नरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह की कालूसिंह पुत्र कल्याण सिंह व कमली पत्नी कल्याणसिंह की बजाय कमल कंवर पत्नी कल्याण सिंह किया जाना उचित है। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

8. अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस के दौरान दावे में अंकित बिन्दुओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज नाम के कारण वादी को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। कृषि भूमि खसरा संख्या 1/4.1860 हैक्ट., खसरा संख्या 109/10.7621 हैक्ट., खसरा संख्या 118/0.2150 हैक्ट., खसरा संख्या 12/0.0506 हैक्ट., खसरा संख्या 13/1.3026 हैक्ट. व खसरा संख्या 6/2.4535 हैक्ट. कुल किता 06 कुल तादादी 18.9697 हैक्ट. वाके रोही लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू (राज.) में खातेदार नरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह की जगह कालू सिंह पुत्र कल्याण सिंह व कमली पत्नी कल्याण सिंह के स्थान पर कमल कंवर पत्नी कल्याण सिंह संशोधित किये जाने का आदेश व डिक्री बहक वादी जारी फरमायी जावें व प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि डिक्री अनुसार अमल दरामद भी वादीगण को प्रदान फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:55 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी को भी इस संबंध में कोई उज्र एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया कि नरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह की कालूसिंह पुत्र कल्याण सिंह व कमली पत्नी कल्याणसिंह की बजाय कमल कंवर पत्नी कल्याण सिंह किया जाना उचित है।

9. मैंने प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया अंतिम चौसाला आधार संवत 2071–2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी खसरा संख्या 1/4.1860 हैक्ट., खसरा संख्या 109/10.7621 हैक्ट., खसरा संख्या 118/0.2150 हैक्ट., खसरा संख्या 12/0.0506 हैक्ट., खसरा संख्या 13/1.3026 हैक्ट. व खसरा संख्या 6/2.4535 हैक्ट. कुल किता 06 कुल तादादी 18.9697 हैक्ट. वाके रोही लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू में वादीगणों का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह हिस्सा 1/168 व कमली पत्नि कल्याणसिंह का 1/168 हिस्सा दर्ज है। तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के अनुसार नरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह की कालूसिंह पुत्र कल्याण सिंह व कमली पत्नी कल्याणसिंह की बजाय कमल कंवर पत्नी कल्याण सिंह किया जाना उचित है। वादीगण द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात ग्रामपंचायत लोहनसना बड़ा का प्रमाण–पत्र, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र पहचान पत्र के अनुसार वादीगण का नाम कालूसिंह पुत्र कल्याण सिंह व कमल कंवर पत्नी कल्याणसिंह दर्ज है। वादीगण द्वारा जमाबन्दी में नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह व कमली पत्नी कल्याण सिंह को शुद्ध नहीं बताया गया। दावे में उक्त नाम संशोधन कर नरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह व कमली पत्नी कल्याणसिंह के बजाय दस्तावेजों के अनुसार कालूसिंह पुत्र कल्याण सिंह व कमल कंवर पत्नी कल्याण सिंह शुद्ध करवाना चाहा गया है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादीगण को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी का नाम दुरूस्त किये जाने से भूमिधारी राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों व शपथ पत्र से वादी का दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। इसलिए दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1/4.1860 हैक्ट., खसरा संख्या 109/10.7621 हैक्ट., खसरा संख्या 118/0.2150 हैक्ट., खसरा संख्या 12/0.0506 हैक्ट., खसरा संख्या 13/1.3026 हैक्ट. व खसरा संख्या 6/2.4535 हैक्ट. कुल किता 06 कुल तादादी 18.9697 हैक्ट. वाके रोही लोहसना छोटा पटवार मण्डल लोहसना बड़ा में अंकित वादीगण का नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह व कमली पत्नी कल्याणसिंह खातेदार के स्थान पर कालूसिंह पुत्र कल्याण सिंह व कमल कंवर पत्नी कल्याण सिंह खातेदार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024/69 दर्ज तिथिः—08.07.2024

1. कालूसिंह उर्फ नरेन्द्रसिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. कमल कंवर उर्फ कमली पत्नी कल्याण सिंह निवासी लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादी—

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

—प्रतिवादी—

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़
प्रतिवादीगणः— पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

<u>—:पर्चा डिक्रीः—</u>

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा— 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत घोषणात्मक के तहत स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है किः—

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1/4.1860 हैक्ट., खसरा संख्या 109/10.7621 हैक्ट., खसरा संख्या 118/0.2150 हैक्ट., खसरा संख्या 12/0.0506 हैक्ट., खसरा संख्या 13/1.3026 हैक्ट. व खसरा संख्या 6/2.4535 हैक्ट. कुल किता 06 कुल तादादी 18.9697 हैक्ट. वाके रोही लोहसना छोटा पटवार मण्डल लोहसना बड़ा वादीगण का नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह व कमली पत्नी कल्याणसिंह खातेदार के स्थान पर कालूसिंह पुत्र कल्याण सिंह व कमल कंवर पत्नी कल्याण सिंह अंकित करने का आदेश दिया जाता है, शेष अंकन यथावत् रहेगा। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22 माह दिसम्बर सन् 2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:55 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)